

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

// आदेश //

क्रमांक फा.नं. 34/स्था./राविसेप्रा/4570/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10/2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोजगार और निर्माण, समाचार पत्र में दिनांक 5.2.2024 से 11.2.2024 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ली गई साक्षात्कार परीक्षा में भृत्य के पद पर चयनित (सारिणी अनुसार) अभ्यर्थियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान 15500-49000/- एवं समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सारिणी के कालम नं. 05 में उल्लेखित पदस्थापना में नियुक्त किया जाता है।

परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13 /2019 /3/ एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अधीन भृत्य वेतनमान 15500-49000 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा।

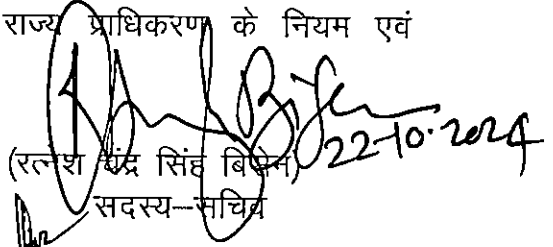
सारिणी

क्र	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम	पता	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	4433	सुश्री पूजा सोनवीर पिता श्री दिनेश सोनवीर	वार्ड क्रमांक 07 धरमपुरी तहसील धरमपुरी जिला धार म.प्र.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार
2	8339	श्री राजेश कुमार झारिया पिता स्व.श्री दुर्गा प्रसाद झारिया	निवासी संजय नगर म.प्र. 2515 पावर हाउस के पीछे आधारताल जबलपुर म.प्र.	तहसील विधिक सेवा समिति जावरा जिला रतलाम
3	3123	श्री मनीष कुमार गौंड पिता श्री विसन सिंह,	निवासी ग्राम छितापाल मझौली जबलपुर म.प्र.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
4	8021	श्री देवेन्द्र गौंड पिता श्री शिवराज गौंड	निवासी वीरपुरा पोस्ट सोठिया थाना मोती नगर तहसील जैसी नगर जिला सागर, म.प्र.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर
5	4804	श्री मनकलाल दौण्डोलिया पिता श्री भेदू दौण्डोलिया	निवासी ग्राम कारेआम रालेड पो. सिधौली थाना तामिया जिला छिन्दवाडा म. प्र.	तहसील विधिक सेवा समिति सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम
6	9591	सुश्री खुशी गौंड पिता श्री तिलक गौंड,	निवासी मकान नं.1067/3 अ बिहारी मोहल्ला वार्ड क. 48 सिद्धबाबा वार्ड जबलपुर	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
7	15195	श्री साहिद खान पिता श्री सत्तार खान,	निवासी 92ए सिन्धी कालोनी लश्कर ग्वालियर म. प्र.	तहसील विधिक सेवा समिति सबलगढ जिला मुरैना

अभ्यर्थीगण को पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08/11/2024 दी जा रही है। वे उक्त तिथि या इसके पूर्व सारिणी के कालम नं. 05 में उल्लेखित पदस्थापना में पदभार ग्रहण करेंगे।

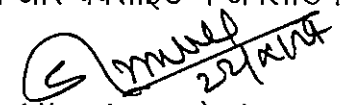
शर्तें:-

- 1- यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- 2- नियुक्त कर्मचारी राज्य प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के प्रति पूर्णरूप से सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण रहेगा।
- 3- यह कि, यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन के प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन के रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- 4- यह कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना 2005 लागू होगी।
- 5- यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 6- अन्य विभाग में शासकीय पदों से सम्बन्धित परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन देने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा। चयनित अभ्यर्थी बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 7- यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 8- यह कि उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- 9- यह कि, आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10- यह कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 08/11/2024 तक अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक आवश्यक रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 11- अभ्यर्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों की लिखित स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
- 13- इन नियुक्तियों के लिये म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।
- 14- नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं राज्य प्राधिकरण के नियम एवं समय-समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होंगे।


(रत्नेश चंद्र सिंह बिशnoi)
सदस्य-सचिव 22-10-2024

पृ.क. फा.नं. 34/स्था0/राविसेप्रा04070/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10/2024
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार/रतलाम/ इन्दौर/नर्मदापुरम /मुरैना की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि नव नियुक्त कर्मचारी की उपस्थिति की जानकारी भिजवाये जाने एवं मेडीकल चेकअप कराये जाने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका तैयार कराया जाकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के बाद सेवा पुस्तिका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार/रतलाम/ इन्दौर/नर्मदापुरम /मुरैना ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सबलगढ जिला मुरैना/जावरा जिला रतलाम/सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपस्थिति/वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सुश्री पूजा सोनवीर पिता श्री दिनेश सोनवीर वार्ड क्रमांक 07 धरमपुरी तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)
10. श्री राजेश कुमार झारिया पिता स्व.श्री दुर्गा प्रसाद झारिया निवासी संजय नगर म.प्र. 2515 पावर हाउस के पीछे आधारताल जबलपुर म.प्र.
11. श्री मनीष कुमार गौंड पिता श्री विसन सिंह, निवासी ग्राम छितापाल मझौली जबलपुर म.प्र.
12. श्री देवेन्द्र गौंड पिता श्री शिवराज गौंड, निवासी वीरपुरा पोस्ट सोठिया थाना मोती नगर तहसील जैसी नगर जिला सागर म.प्र.
13. श्री मनकलाल दौण्डोलिया पिता श्री भेदू दौण्डोलिया, निवासी ग्राम कारेआम रालेड पो. सिधौली थाना तामिया जिला छिन्दवाडा म.प्र.
14. सुश्री खुशी गौंड पिता श्री तिलक गौंड, निवासी मकान नं.1067/3 अ बिहारी मोहल्ला वार्ड क्र.48 सिद्धबाबा वार्ड जबलपुर म.प्र.
15. श्री साहिद खान पिता श्री सत्तार खान, निवासी 92ए सिन्धी कालोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.
16. आई.टी.असिस्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वैबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
17. कार्यालय प्रति।


(डॉ. सुधांशु सक्सेना)
अतिरिक्त सचिव